"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्रपद 24, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018) आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4-3/30/सं/2023.— नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को "लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है —

1. **संक्षिप्त नाम :—**
   1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान नियम-2023" है.
   2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.
   ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप :—** छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष "लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान" राशि रुपये 1 लाख (रुपये एक लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन :—** राज्य शासन, लोकगीत क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :—
   1. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य (उक्त विधा का प्राध्यापक)

   2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् के अंतर्गत — सदस्य
      (1) कला अकादमी के अध्यक्ष
      (2) कला अकादमी के सदस्य
      (3) उप संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा
      (4) प्रतिष्ठित लोकगीत

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :—**
   (1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

   (2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

   (3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

   (4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा.

   (5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा भत्ता देय होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी.

(2) प्रविष्टि संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.
ख. छत्तीसगढ़ मूल निवासी एवं आधार कार्ड अनिवार्य (सत्यापित छायाप्रति).
ग. छत्तीसगढ़ी लोक गीत के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.
घ. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.
च. छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)
छ. छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.
ज. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.
ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा —

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति के नाम, पता एवं मोबा.नं. तथा आधार कार्ड की छायाप्रति	जन्मतिथि एवं आयु	प्रस्तावक का नाम व पता	लोकगीत की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अवधि	प्राप्त पुरस्कार/ सम्मान (अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय)	यदि शासकीय सेवारत हो तो जानकारी	पुरस्कार ग्रहण करने हेतु सहमति पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी —

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियाँ
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड :—**सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोकगीत कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि छत्तीसगढ़ी लोकगीत के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य हैं.

(7) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(8) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी. सम्मान/पुरस्कार हेतु राशि रु. 1.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 2.00 लाख मात्र व्यय होगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, का निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** चयनित व्यक्ति के छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-5/2020/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत नगर पंचायत गौरेला एवं नगर पंचायत पेण्ड्रा को निम्न वर्णित अनुसूची के अनुसार नगर पालिका परिषद् गौरेला एवं नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा के रूप में गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

क्र.	नगर पालिका परिषद् का नाम	जिला
1	गौरेला	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
2	पेण्ड्रा	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

अनुसूची-2

नगर पालिका परिषद् गौरेला तथा नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :—

नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद् गौरेला की सीमाएं होंगी तथा नगर पचांयत पेण्ड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-5/2020/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2020/18 दिनांक 14-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 14th August 2023

No. F-1-5/2020/18.—In exercise of the powers conferred by section 5(1)(A) of the Chhattisgarh Municipal Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby intend to Constitute Municipal Council Gourela and Municipal Council Pendra in place of Nagar Panchayat Gourela and Nagar Panchayat Pendra in District Gourela-Pendra-Marvahi as per the following schedule given below :—

SCHEDULE-1

Sr.	Name of Municipal Council	District
1	Gourela	Gourela-Pendra-Marvahi
2	Pendra	Gourela-Pendra-Marvahi

SCHEDULE-2

The Boundaries of Municipal Council Gourela and Municipal Council Pendra is as below :—

The boundaries of existing Nagar Panchayat Gourela shall be the boundaries of Municipal Council Gourela and the existing boundaries of Nagar Panchayat Pendra shall be the boundaries of Municipal Council Pendra.

Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District Raipur on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-58/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पंचायत बस्तर, जिला-बस्तर की सीमा से पृथक करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची

नगर पंचायत बस्तर की सीमा से पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	क्षेत्र का नाम	जनसंख्या
01	कस्तूरबा गांधी वार्ड	मांझीपारा	507
14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	बागबाहर	619

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति आपत्ति/सुझाव कलेक्टर बस्तर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-58/2003/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-58/2003/18 दिनांक 16-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 16th August 2023

No. F 1-58/2003/18.—In exercise of the powers conferred by section 5-(A) of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby, intend to exclude following areas from the limits of Nagar panchayat Bastar, District-Bastar as per schedule give below :—

SCHEDULE

Details of the areas to be excluded from the limits of Nagar panchayat Bastar.

Ward No.	Name of Ward	Name of Area	Population
01	Kasturba Gandhi Ward	Manjhipara	507
14	Shyama Prasad mukhrjee ward	Bagbahaar	619

Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writting to the Collector, District Bastar on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक 9885/2832/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)-2020 के अनुपूरक सूची घोषित दिनांक 14-08-2021 के क्रमांक-01 पर दर्शित कु. पलक सिंघई द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण रिक्त हुए पद पर व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)-2020 परीक्षा के अंतिम परिणाम (घोषित दिनांक 14-08-2021) की चयन सूची के साथ जारी अनुपूरक सूची/प्रतीक्षा सूची में से अनारक्षित वर्ग के अनुपूरक सूची/प्रतीक्षा सूची के क्र.-2 पर दर्शित कु. खुशबू जैन (Ku. Khushboo Jain) पिता श्री प्रीतम कुमार जैन को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1) (क) के अंतर्गत वेतनमान 77840-136520 (लेवल-J-1) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में लंबित डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 5440/2021 पलक सिंघई विरुद्ध छ.ग. लोक सेवा आयोग व अन्य, डब्ल्यू.पी.एस. क्र. 4718/2021 खुशबू जैन विरुद्ध छ.ग. राज्य व अन्य, डब्ल्यू.पी.सी.एस. क्र. 5879/2021 साक्षी शर्मा विरुद्ध

छ.ग. राज्य व अन्य एवं डब्ल्यू.पी.सी. एस. क्र. 4812/2021 सिद्धार्थ पाण्डेय विरुद्ध छ.ग. राज्य व अन्य में पारित आदेश के अध्याधीन रहेगी तथा यह नियुक्ति आदेश इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि सत्यापन (चरित्र, दस्तावेज एवं चिकित्सा) में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप प्राप्त होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अगस्त 2023

क्रमांक 9785/2671/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मिथलेश कुमार सिंह को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, अंबिकापुर जिला सरगुजा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोक अभियोजक, अंबिकापुर जिला सरगुजा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अगस्त 2023

क्रमांक 10143/2073/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती विजय लक्ष्मी सोनी को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार भास्कर, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 20-50/2022/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 में संलग्न परिशिष्ट-'अ' के अनुक्रमांक-38 पर अंकित मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में परिशिष्ट-'अ' में वर्णित तालिका के स्तम्भ-5 में प्रस्तावित स्थल के रूप में अंकित ग्राम-फुलझर, नवागांव, जिला-राजनांदगांव के स्थान पर ग्राम-कोपेडीड, जिला-राजनांदगांव संशोधित किया जाता है. इस परियोजना से संबंधित अन्य सभी विशिष्टियां पूर्ववत् रहेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 20-50/2022/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में Be Spoke Policy अन्तर्गत मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा.लि. द्वारा "स्टील क्षेत्र के डाउनस्ट्रीम उत्पाद-क्वाईल्स, पाईप्स, ट्यूब्स उद्योग क्षेत्र" हेतु छत्तीसगढ़ शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 26-08-2021 में प्रस्तावित मेगा उद्यम हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निम्नानुसार निर्धारण करता है :—

पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) प्रस्ताव अनुसार पैकेज का लाभ उन इकाईयों को मिल सकेगा, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुकी हैं.

(2) जिन मदों में वार्षिक आधार पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा मदवार वर्ष में भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(3) इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व प्रारंभ करें.
(**टीप —** औद्योगिक नीति 2019-24 के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27 जुलाई, 2023 के अनुसरण में संशोधन बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार यथा संशोधित अवधि का प्रावधान अनुकरणीय होगा.)

(4) इकाई यदि व्यावसायिक उत्पादन 100 करोड़ से कम निवेश कर प्रारंभ करती है तो इकाई के पक्ष में उत्पादन प्रमाण-पत्र तो जारी किया जा सकेगा, परन्तु इकाई को अनुदान की पात्रता इकाई द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपयों निवेश के पश्चात् ही होगी.

(5) इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन इकाईयों के प्रकरण में इकाई के प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जायेगा.

(6) **अधिकतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की सीमा —**
इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायत की अधिकतम सीमा समस्त विकासखण्ड के लिए मान्य कुल स्थाई पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत तक तथा छूटों के मामले समय सीमा 15 वर्षों तक के लिए होगी. यदि इकाई द्वारा परियोजना में वर्तमान में प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से अधिक निवेश किया भी जाता है तो भी कुल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये तक होगी. पैकेज के अंतर्गत अधिकतम वर्षिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन राशि की सीमा राशि रुपये 33.33 करोड़ प्रतिवर्ष तक सीमित होगी.

(7) प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर गणना की एवं प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

क्र.	मद	प्रस्तावित पैकेज (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
1.	**स्टाम्प ड्यूटी छूट** *(प्रकरण में मेसर्स ए.पी.एल. बिल्डिंग प्रोडक्टस प्रा.लि. की मूल कंपनी मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो ट्यूब्स लि. को मूलतः निष्पादित एमओयू के आधार पर दी गई स्टाम्प शुल्क छूट को नवीन नाम पर हस्तांतरित करने की अनुमति, प्रदान की जाये.)*	5.50
2.	**नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति** *(15 वर्षों हेतु अधिकतम सीमा राशि रुपये 457.90 करोड़ अर्थात प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा राशि रुपये 30.52 करोड़ होगी.)*	457.90

(1)	(2)	(3)
3.	**विद्युत शुल्क छूट 15 वर्ष तक पूर्ण छूट** *(अनुमानित राशि)*	6.60
4.	**परिवहन अनुदान** *(अधिकतम रुपये 2 करोड़ प्रतिवर्ष 15 वर्ष हेतु मात्र निर्यात की जा रही वस्तुओं के लिये उद्योग परिसर से किये जा रहे वास्तविक निर्यात पर उत्पादन स्थल से पोर्ट तक सामग्री परिवहन हेतु)*	30.00
	अधिकतम मान्य पैकेज राशि रुपये योग :—	**500.00**

(8) इस पैकेज में संक्षेपिका की कंडिका क्रमांक (7) में उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/रियायतों हेतु पात्र होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

(9) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 20-50/2022/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में Be Spoke Policy अन्तर्गत मेसर्स नर्मदा ड्रिंक्स प्रा.लि. द्वारा "साफ्ट ड्रिंक्स उत्पाद उद्योग क्षेत्र" हेतु छत्तीसगढ़ शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 18-04-2022 में प्रस्तावित मेगा उद्यम हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निम्नानुसार निर्धारण करता है :—

पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) प्रस्ताव अनुसार पैकेज का लाभ उन इकाईयों को मिल सकेगा, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुकी हैं.

(2) जिन मदों में वार्षिक आधार पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा मदवार वर्ष में भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(3) इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व प्रारंभ करें.

*(**टीप —** औद्योगिक नीति 2019-24 के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27 जुलाई, 2023 के अनुसरण में संशोधन बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार यथा संशोधित अवधि का प्रावधान अनुकरणीय होगा.)*

(4) इकाई यदि व्यावसायिक उत्पादन 100 करोड़ से कम निवेश कर प्रारंभ करती है तो इकाई के पक्ष में उत्पादन प्रमाण-पत्र तो जारी किया जा सकेगा, परन्तु इकाई को अनुदान की पात्रता इकाई द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपयों निवेश के पश्चात् ही होगी.

(5) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इकाई द्वारा प्रस्तावित विस्तार योजना अंतर्गत प्रथम उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक किये गये निवेश पर ही अनुदान की पात्रता होगी अर्थात इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु इकाई विस्तार हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जा सकेगा.

(6) **अधिकतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की सीमा —**
इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायत की अधिकतम सीमा समस्त विकासखण्ड के लिए मान्य कुल स्थाई पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत तक तथा छूटों के मामले समय सीमा 10 वर्षों तक के लिए होगी. यदि इकाई द्वारा परियोजना में वर्तमान में प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से अधिक निवेश किया भी जाता है तो भी कुल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रु. 114.00 करोड़ रुपये तक होगी. पैकेज के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा राशि रुपये 11.40 करोड़ प्रतिवर्ष तक सीमित होगी.

(7) इकाई द्वारा प्रस्तावित विस्तार योजना को इस नीति के तहत समग्र रुप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर गणना की एवं प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

क्र.	मद	वित्तीय भार (राशि रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(क)	विद्युत शुल्क से छूट 10 वर्ष हेतु	0.77
(ख)	नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति 10 वर्ष हेतु	113.23

(8) प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पैकेज का अनुमोदन किया गया है. इस पैकेज में संक्षेपिका की कंडिका क्रमांक (7) में उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/रियायतों हेतु पात्र होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

(9) उपरोक्त पैकेज इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाना अनुशंसित है कि जल आपूर्ति हेतु राज्य शासन के निर्धारित दर पर इकाई द्वारा पूर्ण भुगतान यथा समय सुनिश्चित किया जायेगा.

(10) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 20-50/2022/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में Be Spoke Policy अन्तर्गत मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा.लि. द्वारा "मछली आहार उद्योग क्षेत्र" हेतु छत्तीसगढ़ शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 12-10-2021 में प्रस्तावित मेगा उद्यम हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निम्नानुसार निर्धारण करता है :—

पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) प्रस्ताव अनुसार पैकेज का लाभ उन इकाईयों को मिल सकेगा, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुकी हैं.

(2) जिन मदों में वार्षिक आधार पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा मदवार वर्ष में भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(3) इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व प्रारंभ करें.

*(**टीप** — औद्योगिक नीति 2019-24 के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27 जुलाई, 2023 के अनुसरण में संशोधन बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार यथा संशोधित अवधि का प्रावधान अनुकरणीय होगा.)*

(4) इकाई यदि व्यावसायिक उत्पादन 100 करोड़ से कम निवेश कर प्रारंभ करती है तो इकाई के पक्ष में उत्पादन प्रमाण-पत्र तो जारी किया जा सकेगा, परन्तु इकाई को अनुदान की पात्रता इकाई द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपयों निवेश के पश्चात् ही होगी.

(5) इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन इकाईयों के प्रकरण में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जा सकेगा.

(6) **अधिकतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की सीमा —**

इस पैकेज में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायत की अधिकतम सीमा समस्त विकासखण्ड के लिए मान्य कुल स्थाई पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत तक तथा छूटों के मामले समय सीमा 15 वर्षों तक के लिए होगी. यदि इकाई द्वारा परियोजना में वर्तमान में प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से अधिक निवेश किया भी जाता है तो भी कुल अधिकतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सीमा रु. 85.36 करोड़ रुपये तक होगी. पैकेज के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा राशि रुपये 5.69 करोड़ प्रतिवर्ष तक सीमित होगी.

(7) प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर गणना की एवं प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

(क)	स्टाम्प शुल्क से छूट	(केवल एक बार देय)
(ख)	भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क से छूट	(केवल एक बार देय)
(ग)	विद्युत शुल्क से छूट	15 वर्षों के लिए पूर्ण छूट
(घ)	ब्याज अनुदान	30 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष में अधिकतम कुल मान्य राशि 4.69 करोड़ तक (प्रतिवर्ष अधिकतम 67.00 लाख)
(ङ)	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	नीति के वर्तमान प्रावधान अनुसार
(च)	उपरोक्त मदों में इकाई को उत्पादन दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् अनुदान की प्रथम किश्त देय होगी.	

(8) प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पैकेज का अनुमोदन किया गया है. इस पैकेज में संक्षेपिका की कंडिका क्रमांक (7) में उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/रियायतों हेतु पात्र होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

(9) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1-78/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	(1) सहायक ग्रेड-दो (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5 वर्ष	(1) सहायक ग्रेड-एक (2) श्रम उप निरीक्षक (3) सांख्यिकीय पर्यवेक्षक	--तदैव--"

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1-78/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-78/2012/16, दिनांक 14-9-23 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 14th September 2023

No. F 1-78/2012/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Recruitment Rules, 2014, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For serial number 6 of Schedule-IV and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely ;—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	(1) Assistant Grade-II (2) Data Entry Operator	5 years	(1) Assistant Grade-I (2) Labour Sub-Inspector (3) Statistical Supervisor	--do--"

2. Serial number 13 of Schedule-IV and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAKESH SAHU, Under Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 3-07/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दुखुराम आंचला, भा.पु.से.(2010) की दिनांक 13-12-1989 से दिनांक 26-12-1994 तक स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर की गई पूर्व सेवा को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम 1958 के उपनियम-8(2), भारत सरकार, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 04-11-2015 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के उप नियम-11, 12 एवं 13 के तहत पेंशन लाभ हेतु उनके वर्तमान सेवा (भारतीय पुलिस सेवा) में सम्मिलित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ ग्राम प.ह.नं. 56	0.364	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.).	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्रमांक/2559/201611200400002/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव उर्फ मूरगांव प.ह.नं. 11	0.218	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल.	रा.रा.मार्ग के कि.मी. 157 मुरगांव-नवापारा मार्ग के कि.मी. 1/6 लिंगधारा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्रमांक/2560/201701200400016/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी प.ह.नं. 03	0.301	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल.	विश्रामपुरी-रावनागुड़ा मार्ग के कि.मी. 4/2 गंराजीडिही नाला पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2023

क्रमांक/3190/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	धरसींवा	परसुलीडीह, प.ह.नं. 23	1.170	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-3, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)	रिंग रोड नं.-03 हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2023

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 371/202106042900091/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुर्रूभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.022 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
450	0.009

	(1)	(2)
	364/2	0.006
	365/2	0.003
	363/2	0.004
योग	4	0.022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुर्रूभांठा-रक्सापाली-कछार-उसरौट-तारापुर-पुटकापुरी-सुपा मार्ग लंबाई 48.117 कि.मी. के उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th August 2023

No. 1090/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, Judge, Family Court.	Dantewara	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Additional District and Sessions Judge.
2.	Shri Prashant Parashar, Secretary, High Court Legal Services Committee.	Bilaspur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Additional District and Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO)
3.	Smt. Nidhi Sharma Tiwari, III Additional District and Sessions Judge.	Jagdalpur	Raipur	Raipur	I Additional District and Sessions Judge.
4.	Ku. Udai Laxmi Parmar, Registrar, Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commission.	Raipur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional District and Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO)
5.	Shri Madhusudan Chandrakar, II Additional District & Sessions Judge.	Ramanujganj	Raipur	Raipur	VIII Additional District and Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Shrikant Shrivas, VIII Additional Disrict and Sessions Judge.	Raipur	Ramanujganj	Balrampur at Ramanujganj	II Additional Disrtict and Sessions Judge.

Note :(i) *The Judicial Officer, whose name is mentioned at serial no. 5, shall not be entitled to any transfer grant and/ or allowance (s) pursuant to transfer on his own request.*

Bilaspur, the 9th August 2023

No. 1091/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Civil Judges (Senior Division) , as specified in Column No. (2) of the table below, who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its Order/Endt. No. 9445 & 9447/2595/21-B/C.G./2023 dated 01-08-2023, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and are posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Civil Judges (Senior Division), as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry level) in officiating capacity by the State Government, are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jitendra Kumar Thakur, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Janjgir-Champa	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Jagdish Ram, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bijapur	Raigarh	Raigarh	III Additional District & Sessions Judge.
3.	Smt. Monika Jaiswal, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bemetara	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Anil Kumar Bara, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Jagdalpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	III Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Santosh Kumar Mahobiya, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Sukma	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.
6.	Ku. Pushplata Markande, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Narayanpur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Krishna Kumar Suryawanshi, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Korba	Korba	Korba	II Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Ku. Vandana Verma, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Kawardha	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

Note :(i) *The Judicial Officer, whose name is mentioned at serial no. 5, shall not be entitled to any transfer grant and/or allowance (s) pursuant to transfer on his own request.*

Bilaspur, the 9th August 2023

No. 1098/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Sunil Kumar Nande	III Additional District and Sessions Judge, Surajpur.	I Additional District and Sessions Judge, Surajpur.
2.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur.	II Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.	I Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.

Bilaspur, the 10th August 2023

No. 10185/Checker/III-6-1/2007(Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present Place of posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Shri Guru Prasad Dewangan, J.M.S.C., Khairagarh	Khairagarh	Rajnandgaon
2.	Ku. Rashmi Mishra, J.M.S.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)
3.	Ku. Jenifer Lakra, J.M.S.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.